

१००

प्रकरण सं.

35/18

दीप्तरमल सम्बन्धि


हुकम या कार्यवाही मग इमिशियल जज

दिनांक

गणना सं. तारीख  
आदेशकान जो इस  
हुकम की सम्बन्ध  
में जारी हुए

7/8/25

पत्रावली पेश हुई) वादी एवं वादी अधिवक्ता  
अनुपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से विभाजन  
रिपोर्ट प्राप्त शा. मिसल की गई। तहसीलदार  
भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादगुप्त  
भूमि का सटमारी बंटवारा ही चुका है। न्यायालय  
नापब तहसीलदार कोरौई कलां द्वारा वादगुप्त भूमि  
का सटमारी ले विभाजन किया जा चुका है। अतः  
वादके द्वारा उद्धृत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 शक  
कावतकारी आतिरिक्त में कोई कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं है। अतः पत्रावली खारिज की जाती है। निर्णय  
सरे इतलास सुनाया गया। पत्रावली मिसल शुमार  
होकर दायिल दफ्तरी तथा नम्बर से कम है।

  
7/8/25  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा